"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2002—आश्विन 15, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (106).—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-5-56-पांच-पृ. आ.-82, दिनांक 23-10-1982 में प्रकाशित "मध्यप्रदेश सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों के नियम 8 में शब्द "संबंधित जिले की जिला योजना समिति" जहां-जहां भी प्रयुक्त हुए हों, के स्थान पर शब्द "आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (106).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (106), दिनांक 7-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** उप-सचिव.

Raipur, the 7th October 2002

NOTIFICATION

No. F-10-389/2001/CT/V (106).—The State Government hereby makes the following amendment in the MADHYA PRADESH CINEMA GHARON KE NIRMAN KO PROTSAHAN YOJANA KE SAHAYATA ANUDAN NIYAM, 1982 published in the notification No. B-5-56-V-SR-82, dated 23-10-1982 of Separate Revenue Department of Government of Madhya Pradesh, namely :—

AMENDMENT

In the notification in rule 8, in place of words "District Planning Committee of the District Concern", wherever they occurred, the words "Excise Commissioner, Chhattisgarh" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (107).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 7 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, पृथक् आगम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 54-ए/5/पृ. आ., दिनांक 4-7 1959 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड 2, चेप्टर 2, के पैरा 18 में उप खण्ड (ज) निम्नानुसार जोड़ा जायेगा—

| क्रमांक (1) | प्रदत्त शक्तियां (2) | धारा (3) |
|---|---|---|
| (ज) | उन अपराधों में जिनकी कायमी के पश्चात् 6 माह से अधिक हो गए हैं, में विशेष अनुमति देना. | 61 (2) |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (107).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-389/2001/वाक/पांच (107), दिनांक 7-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th October 2002

NOTIFICATION.

No. F-10-389/2001/CT/V (107).—In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Section 7 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. 54-A/V/SR, dated 4-7-1959, of Separate Revenue Department., Madhya Pradesh, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in para XVIII of Section II of chapter II, following clause (h) shall be added—

| No.<br>(1) | Powers Conferred<br>(2) | Section<br>(3) |
|---|---|---|
| (h) | To grant special sanction in those cases, wherein over six months has passed after their registration. | 61 (2) |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.